फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामसहाय बनाम रामी वगै0

किस्म मुकदमा– दावा

मु0नं0– 108/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आज दिनांक को मृतक रामजीलाल के कायमुकामात हेतु नियत है। वादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि मृतक रामजीलाल द्वारा अपनी भूमि का बेचान किया जा चुका है एवं केता पूर्व से ही पत्रावली पर पक्षकार है इसलिए मृतक रामजीलाल का नाम हजफ किया जाता है जिसका अंकन लाल स्याही से किया जावे। तत्पश्चात बहस कुर्रेजात प्रस्ताव सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा कुर्रेजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश कुर्रेजात प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा वादी मुताबिक कुर्रेजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव निर्णय का भाग होंगे। तहसीलदार सिकराय कुर्रेजात प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को पालना तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	